न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलसंख्या 43/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/151)

1. राजाराम पुत्र श्रीनारायण जाति मीना, निवासी ग्राम थलोज, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामजीलाल जाति यादव, निवासी ग्राम थलोज, तहसील लालसोट, जिला दौसा राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट,जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 13.05.2023 मु0नं0 37/2023 उनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम राजस्थान सरकार धारा 128 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित—

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—29.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 13.05.2023 के खिलाफ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 19.06.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 200/9 रकबा 0.5817 है0, अर्थात् 2 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम थलौज, पटवार हल्का चांदसेन भू0अ0नि0 क्षेत्र लालसोट जिला दौसा राज. में स्थित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा को आदेश दिये गये कि उक्त आराजी की सीमा निर्धारण वास्तविक रकबे अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में करते हुए पत्थरगढी कायम करवाई जावे एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें तथा नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त किया जावे एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2023 को पारित किये गये हैं ।

3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 13.05.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट राजाराम पुत्र श्रीनारायण द्वारा यह अपील प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 13.05.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय लालसोट के समक्ष प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 200/9 रकबा 0.5817 है० भूमि वाके ग्राम थलोज, तहसील लालसोट, जिला दौसा में स्थित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना या सरोकार वास्ता नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट का पडौसी सहखातेदार है, जिनको जानबूझकर प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है तथा निर्णय दिनांक 13.05.2023 के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि आराजी खसरा नं० 518/200, 514/200, 516/200, 520/200, 522/200, 543/133, 546/133, 547/133 कुल किता 8 कुल रकबा 1.6186 हैक्टेयर वाके ग्राम थलोज पर जबरन अतिक्रमण करने की कुचेष्ठा कर रहे है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अतिक्रमण वाली कुचेष्ठा से परेशान होकर दिनांक 04.04.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके परिवारजनों के विरूद्व वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी महोदय लालसोट के समक्ष प्रस्तुत किया था जो उनवानी राजाराम बनाम लक्ष्मीनारायण के नाम से जैरकार है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 04.04.2023 से प्रतिबंधित करते हुए अपीलान्ट की आराजी भूमि आराजी खसरा नं0 518/200, 514/200, 516/200, 520/200, 522/200, 543/133, 546/133, 547/133 कुल किता 8 कुल रकबा 1.6186 हैक्टेयर वाकै ग्राम थलोज तहसील लालसोट वाली के मौका की यथास्थिति बनाये रखने एवं अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न करे न करावे बाबत जारी कर रखा है जो आज दिन तक प्रभावी है। अतः ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए एक तरह से विरोधाभाषी प्रश्नगत आदेश जारी करने में अहम कानूनी भूल की है। प्रश्नगत निर्णय करने से पूर्व मौके की वास्तविक जांच नही की गई न ही अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा बिना जानकारी व सुनवाई के ही प्रश्नगत निर्णय पारित कर दिया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत निर्णय की तलाश की गई तब दिनांक 15.06.2023 को नकल प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2023 से प्रभावित पक्षकार को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 13.05.2023 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 15.06.2023 को होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट का

अतिरिक्त [illegible] आयुक्त

प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। प्रकरण पत्थरगढी से संबधित है। जिसमें पडौसी सहखातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से विदित नहीं होता है। प्रकरण में कोई समरी जॉच भी नहीं की गई है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा नजीरें पेश की गई। प्रस्तुत नजीरें 2023(1) आर.आर.टी 247, 2024(1) आर.आर.टी. 225, 2018(2) आर.आर.टी. 864, 2018 आरबीजे 676 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लोक अदालत में उन्ही प्रकरणों को निरतारण किया जा सकता है, जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया हो। प्रकरण में अपीलान्ट को सुना ही नही गया है। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन दावे के आलोक में समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन दावे के आलोक में समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(डॉ. प्रदीप कुमार)
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर